न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 154 / 2022

1 गिरधारी पुत्र माधा।
2 बोदु पुत्र धोकल।
3 जयमल पुत्र धोकल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी झीड़ा ग्राम नई कोठी तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामकिशन दत्तक पुत्र मालाराम।
2 मुनेश देवी स्त्री मालाराम समस्त जाति गुर्जन निवासीगण ढ़ाणी झीड़ा कोठी तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 19.05.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू उनवानी रामकिशन बनाम गिरधारीलाल वगैरह मुकदमा नम्बर 46/2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—27.07.2023

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 46/2020 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 720 रकबा 0.80 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम नई कोठी पटवार हल्का माधोगढ़ तहत तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन में से रेस्पोडेंट संख्या 01 रामकिशन 1/12 हक हिस्से का तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 मुनेश देवी 1/6 हक हिस्से की सह खातेदार है। सरहद राजस्व ग्राम नई कोठी तहसील खेतड़ी में जमीन हाल खसरा नम्बर 697 रकबा 3.22 हैक्टेयर स्थित है खसरा नम्बर 697 के सह खातेदार हक हिस्सा के मुताबिक अपीलांट है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने जमीन हाल खसरा नम्बर 720 की जमीन में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 697 की उतरी सीमा के सहारे—सहारे 11 फीट रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कायम करवाने के लिये पहले तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रकरण को न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू ने आदेश दिनांक 22.08.2019 के द्वारा नियमित विचारण हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में ट्रान्सफर कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 05.12.2019 को स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में अपील उनवानी गिरधारी बनाम रामकिशन मुकदमा नम्बर 97/2019 पेश की जिस अपील में दिनांक 08.01.2020 को माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित कर प्रकरण को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की कि पीठासीन अधिकारी स्वंय मौका देखकर प्रकरण का एक माह में निस्तारण करें। अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली दिनांक 17.01.2020 को पुनः दर्ज की गई तथा दिनांक 09.05.2022 को पीठासीन अधिकारी ने स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना लिखा जाकर दिनांक 19.05.2022 को आलौच्य निर्णय पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 697 की उत्तरी सीमा पर कभी रास्ता नही रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में रास्ते को कदीमी होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण धारा 251ए की परिधि का नही होकर धारा 251 की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु सिविल न्यायालय खेतड़ी में भी दावा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में भी विचाराधीन प्रकरण चलने योग्य नही है। आई.एल.आर की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 में वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजुद होने का तथ्य अंकित है। सिविल न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका कमिश्नर रिपोर्ट के नजरी नक्शे में दो मकान के मध्य मात्र 5.3 फिट का ही रास्ता होना प्रकट है। सिविल न्यायालय में वाद लम्बित होने का तथ्य प्रार्थी स्वीकार करता है। मौके पर प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 696 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उत्तरी सीमा पर वैकल्पिक रास्ता मौजुद है व चालु है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही होने का कथन कर मियाद में छुट चाही है। विधि अनुसार इस आधार पर अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही माना जा सकता है। अपील मियाद बाहर होने पर गुणावगुण पर भी विवेचन की आवश्यकता नही होती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम दिनांक 05.12.2019 को निर्णय पारित किया गया था। इसकी अपील में इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमती से पीठासीन अधिकारी स्वंय को मौका निरीक्षण कर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। अपील न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को विचारण न्यायालय में दिनांक 17.01.2020 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। विचारण न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी स्वंय द्वारा दिनांक 09.05.2022 को मौका निरीक्षण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आई.एल.आर, तहसीलदार, पीठासीन अधिकारी स्वंय के स्थल निरीक्षण में वैकल्पिक रास्ता नही पाया गया है। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट के विरूद्व कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। धारा 251ए में संक्षिप्त विचारण होता है विचारण न्यायालय ने पर्याप्त सुनवाई के उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वंय स्थल निरीक्षण कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2022(2) पेज 1079, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 558, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 574 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही होने का कथन कर मियाद में छुट चाही है। विधि अनुसार इस आधार पर अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही माना जा सकता है। अपील मियाद बाहर होने पर गुणावगुण पर भी विवेचन की आवश्यकता नही होती है किन्तु फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम दिनांक 05.12.2019 को निर्णय पारित किया गया था। इसकी अपील में इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमती से पीठासीन अधिकारी स्वंय को मौका निरीक्षण कर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। अपील न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को विचारण न्यायालय में दिनांक 17.01.2020 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। विचारण न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी स्वंय द्वारा दिनांक 09.05.2022 को मौका निरीक्षण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आई.एल.आर, तहसीलदार, पीठासीन अधिकारी स्वंय के स्थल निरीक्षण में वैकल्पिक रास्ता नही पाया गया है। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट के विरूद्व कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। धारा 251ए में संक्षिप्त विचारण होता है विचारण न्यायालय ने पर्याप्त सुनवाई के उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वंय स्थल निरीक्षण कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/07/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर